

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0

147 / 2025

तारीख दायरा

25.08.2025

तारीख फैसला

13.02.2026

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— प्रहलाद आत्मज श्योपाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम जाखड़ोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

- 1— नन्दकिशोर आत्मज बंशीलाल जाति धाकड़
- 2— कमलेश आत्मज बंशीलाल जाति धाकड़
- 3— कालूलाल आत्मज बंशीलाल जाति धाकड़
- 4— कैला बाई उर्फ कैलाशपत्नी बंशीलाल जाति धाकड़
- 5— कन्हैयालाल आत्मज श्योपाल जाति धाकड़
- 6— जवाहरीलाल आत्मज श्योपाल जाति धाकड़ निवासी गण ग्राम जाखड़ोन तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
- 7— महावीर आत्मज मदनलाल जाति धाकड़
- 8— राधेश्याम आत्मज मदनलाल जाति धाकड़
- 9— सन्तोष पुत्री मदनलाल जाति धाकड़ निवासी गण दरबीजी तहसील दीगोद जिला कोटा
- 10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0


(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से — श्री भारत शर्मा एडवोकेट


प्रतिवादीगण की ओर से— श्री पंकज मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :- यह कि वाके ग्राम जाखड़ोन तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0न0 165 रकबा 2.25 हे0, ख0न0 235 0.51 हे0, ख0न0 283 रकबा 0.42 हे0, ख0न0 751 रकबा 0.40 हे0, ख0न0 753 रकबा 5.89 हे0, भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी व प्रतिवागण द्वारा आपस में बंटवारा कर लिया था। यह कि वादी व प्रतिवादी ने मौखिक बंटवारा करते हुए अपने अपने हिस्से की भूमि


दीपक महावर
जिला कोटा (राज.)

जौत हेतु दे दी थी और वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में बटवारे के पश्चात वादी ग्राम जाखडोन की ख0नं0 1213/753 रकबा 0.58 हे0, ख0नं0 1218/165 रकबा 0.78 हे0, ख0नं0 1221/235 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 283 रकबा 0.42 हे0 कुल किता 4 की रकबा 1.84 हे0 भूमि दर्ज की गई तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 के ग्राम जाखडोन की ख0नं0 1261/753 रकबा 0.58 हे0, ख0नं0 1226/165 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 1222/235 रकबा 0.05 हे0 कुल 3 किता की रकबा 1.32 हे0 भूमि दर्ज की गई एवं प्रतिवादी नं0 5 के ग्राम जाखडोन की खसरा नं0 1214/753 की रकबा 0.59 हे0, ख0नं0 1219/165 रकबा 0.78 हे0 कुल 2 किता की 1.37 हे0 भूमि दर्ज हुई व प्रतिवादी नं0 6 के ग्राम जाखडोन की 1215/753 रकबा 0.16 हे0 व प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 के ग्राम जाखडोन की खसरा नं0 1217/753 रकबा 0.40 हे0, ख0नं0 1223/235 रकबा 0.40 हे0 कुल किता 2 की 0.80 हे0 भूमि दर्ज की गई जो वादी व प्रतिवादीगण के उक्त आराजी के मौके के अनुसार खसरा नम्बर अदल बदल हो गए हैं। यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी मद नं0 2 में अंकित में वादी के मौके के अनुसार ग्राम जाखडोन में वादी के मौके के अनुसार खसरा नं0 1220/165 रकबा 0.72 हे0, खसरा नं0 1222/235 रकबा 0.05 हे0 जो प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज है खसरा नं0 1214/753 रकबा 0.59 हे0 जो प्रतिवादी नं0 5 की खातेदारी में दर्ज है, ख0नं0 283 रकबा 0.42 हे0, खनं0 1221/235 रकबा 0.06 हे0 जो वादी की खातेदारी में है पर वादी काबिज काश्त है व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 को मौके अनुसार ख0नं0 1215/753 रकबा 0.16 हे0 जो प्रतिवादी नं0 6 की खातेदारी में दर्ज है, ख0नं0 1217/753 रकबा 0.41 हे0 जो प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 की खातेदारी में दर्ज है, खसरा नं0 1218/165 रकबा 0.75 हे0 जो वादी की खातेदारी में दर्ज है पर काबिज है इस प्रकार उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी मौके अनुसार अपने ख0नं0 पर काश्त नहीं की एक दुसरे के खसरा नं0 पर काश्त कर रहे हैं। जो गलत रूप से खातेमें दर्ज हो गया है। यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी मद नं0 2 में अंकित में मौके के अनुसार ग्राम जाखडोन की प्रतिवादी नं0 5 को मौके पर खसरा नं0 1219/165 रकबा 0.78 हे0, जो स्वयं प्रतिवादी नं0 5 की खातेदारी में दर्ज हे0 ख0नं0 1213/753 रकबा 0.59 हे0 जो वादी की खातेदारी में दर्ज है पर प्रतिवादी नं0 5 काबिज है व ग्राम जाखडोन की प्रतिवादी नं0 6 का मौके पर खसरा नं0 1216/753 रकबा 0.16 हे0 पर काबिज है जो प्रतिवादी नं0 6 का मौके पर खसरा नं0 1216/753 रकबा 0.16 हे0 पर काबिज है जो प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज है पर काबिज है व ग्राम जाखडोन की प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 का मौके पर खसरा नं0 1216/753 रकबा 0.40 हे0 जो प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज है, ख0नं0 1223/253 रकबा 0.40 हे0, जो स्वयं प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 की खातेदारी में दर्ज है पर काबिज काश्त है। इस प्रकार उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादीगण मौके अनुसार अपने ख0नं0 पर काश्त नहीं कर एक दुसरे के खसरा नं0 पर काश्त कर रहे हैं। जो गलत रूप से खाते में दर्ज हो गया है और प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में हकत्याग कर दिया और वादी ने ग्राम


 राजक कडकर
 दीनोद, जिला कोटा (राज.)

दरबीज की आराजी में अपना हिस्सा प्रतिवादी नं० 7 लगायत 9 के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का गलत दर्ज ख०नं० को सही करवाने एवं मौके अनुसार आराजी के खसरा नं० बदलने व रकबा कम ज्यादा को सही कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिया गया और उक्त आराजी को खर्द-बुर्द बेचान करने की धमकी दी और नं० बदलने से इन्कार कर दिया जबकि वादी को मौकेअनुसार खाते दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी नं० 4 का नाम कैला बाई दर्ज हो गया है जबकि प्रतिवादी नं० 4 का नाम कैलाश बाई है। जो दुरस्त कर कैला बाई के स्थान पर कैलाश बाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की सादर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमायी जावे कि ग्राम जाखडोन तहसील दीगोद जिला कोटा की ख०नं० 1220/165 रकबा 0.72 हे०, खसरा नं० 1222/235 रकबा 0.05 हे जो प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज है ख०नं० 1214/753 रकबा 0.59 हे० जो प्रतिवादी नं० 5 की खातेदारी में दर्ज है को प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की खातेदारी से हटाकर वादी के खाते दर्ज की जावे व ख० नं० 283 रकबा 0.42 हे०, खसरा नं० 1221/235 रकबा 0.06 हे०, जो वादी की खातेदारी में है। पर वादी काबिज काशत है पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवानं० 7 लगायत 9 द्वारा अपना हकत्याग करने से प्रतिवादी नं० 7 लगायत 9 के कब्जे काशत की आराजी खसरा नं० 1216/753 रकबा 0.40 हे० जो प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज है पर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 की खातेदारी से हटाकर वादी के खाते दर्ज की जावे व खसरा नं० 1223/253 रकबा 0.40 जो प्रतिवादी नं० 7 लगायत 9 की खातेदारी में दर्ज है पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

यह कि ग्राम जाखडोन की प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 को मौके अनुसार खसरा नं० 1215/753 रकबा 0.16 हे०, जो प्रतिवादी नं० 6 की खातेदारी में दर्ज है, खसरा नं० 1217/753 रकबा 0.41 हे० जो प्रतिवादी नं० 7 लगायत 9 की खातेदारी में दर्ज है, खसरा नं० 1218/165 रकबा 0.75 हे० जो वादी की खातेदारी में दर्ज है को प्रतिवादी नं० 6 व 7 लगायत 9 व वादी की खातेदारी से हटाकर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। यह कि ग्राम जाखडोन की प्रतिवादी नं० 5 का मौके पर खसरा नं० 1219/165 रकबा 0.78 हे० जो स्वयं प्रतिवादी नं० 5 की खातेदारी में दर्ज है, खसरा नं० 1213/753 रकबा 0.59 हे० जो वादी की खातेदारी में दर्ज है पर वादी की खातेदारी से हटाकर प्रतिवादी नं० 5 को खातेदार घोषित किया जावे। यह कि ग्राम जाखडोन की प्रतिवादी नं० को मौके पर खसरा नं० 1216/753 रकबा 0.16 हे०, पर काबिज है जो प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज है पर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 6 की खातेदारी से हटाकर प्रतिवादी नं० 6 को खातेदार घोषित किया जावे।


न्यायिक कक्ष
कोटा (राज.)

यह कि प्रतिवादी नं० 4 का नाम कैला बाई के स्थान पर कैलाश बाई दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:-

1. नकल जमाबदी ग्राम जाखडोनखाता संख्या 210 संवत 2075-78
2. नकल जमाबदी ग्राम जाखडोन खाता संख्या 441 संवत 2075-78
3. नकल जमाबदी ग्राम जाखडोन खाता संख्या 443 संवत 2075-78
4. नकल जमाबदी ग्राम जाखडोन खाता संख्या 442 संवत 2075-78
5. नकल जमाबदी ग्राम जाखडोन खाता संख्या 440 संवत 2075-78

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करावायी गयी। वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर न्यायालय में आपसी सहमति से उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से आपसी सहमति से एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल गया। पत्रावली की आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। वादी-प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:-

राजीनामा

यह कि उक्त वाद में पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। पक्षकारान आपस में परिवार के सदस्य है। राजीनामा निम्नानुसार है-

1. यह कि ग्राम जाखडोन तहसील दीगोद की ख०नं० 1213/753 रकबा 0.58 हे०, ख०नं० 1218/165 रकबा 0.78 हे०, ख०नं० 1221/235 रकबा 0.06 हे०, ख०नं० 283 रकबा 0.42 हे० व ख०नं० 1216/753 रकबा 0.58 ख०नं० 1220/165 रकबा 0.69 हे०, ख०नं० 1222/235 रकबा 0.05 हे०, व खसरा नं० 1214/753 रकबा 0.59 हे०, ख०नं० 1219/165 रकबा 0.78 हे०, 0 ख०नं० 1215/753 रकबा 0.16 हे०, व ख०नं० 1217/753 रकबा 0.40 हे० ख०नं० 1223/235 रकबा 0.40 हे० भूमिपर निम्न राजीनामा अनुसार डिक्रीपारित करवाना चाहते है।
2. उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा-
 - वादी (प्रहलाद) के नाम आयी भूमि
ग्राम जाखडोन- खसरा नं० 1220/165 रकबा 0.72 हे०
खसरा नं० 1222/235 रकबा 0.05 हे०
खसरा नं० 1214/753 रकबा 0.59 हे०
खसरा नं० 283 रकबा 0.42 हे०
खसरा नं० 1221/235 रकबा 0.06 हे०


जयशंकर
सी.गोद, जिला कोटा (राज.)

खसरा नं0 1223/253 रकबा 0.40 हे0

खसरा नं0 1216/753 रकबा 0.40 हे0

➤ प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 के आयी भूमि

ग्राम जाखडोन-खसरा नं0 1215/753 रकबा 0.16 हे0

खसरा नं0 1217/753 रकबा 0.41 हे0

खसरा नं0 1218/165 रकबा 0.75 हे0

कुल 3 किता रकबा 1.32 हे0

➤ प्रतिवादी नं0 5 कन्हैयालाल की आयी भूमि

ग्राम जाखडोन-खसरा नं0 1219/165 रकबा 0.78 हे0

खसरा नं0 1213/753 रकबा 0.59 हे0

कुल 2 किता रकबा 1.37 हे0


➤ प्रतिवादी नं0 6 जवाहरीलाल के आयी भूमि

ग्राम जाखडोन- खसरा नं0 1216/753 रकबा 0.16 हे0

यह कि प्रतिवादी नं0 4 का नाम कैला बाई की जगह पर कैलाश बाई दर्ज किया जावे। प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 के नाम भूमि का वादी के पक्ष हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 का नाम डिलीट कर इनकी स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे। राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वाद पत्र को आपसी सहमती से प्राप्त हिस्सा अनुसार डिक्री फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें। तत्पश्चात वाद को बहस पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। वादी-प्रतिवादीगण के अधिवक्ता नें प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।


प्रकरण मे उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा, दस्तावेजात के आद्योपान्त अध्ययन अवलोकन के उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र राजीनामानुसार आंशिक स्वीकार किया जाकर वादी-प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम जाखडोन तहसील दीगोद की ख0नं0 1213/753 रकबा 0.58 हे0, ख0नं0 1218/165 रकबा 0.78 हे0, ख0नं0 1221/235 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 283 रकबा 0.42 हे0 व ख0नं0 1216/753 रकबा 0.58 ख0नं0 1220/165 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 1222/235 रकबा 0.05 हे0, व खसरा नं0 1214/753 रकबा 0.59 हे0, ख0नं0 1219/165 रकबा 0.78 हे0, 0 ख0नं0 1215/753 रकबा 0.16 हे0, व ख0नं0 1217/753 रकबा 0.40 हे0 ख0नं0 1223/235 रकबा 0.40 हे0 भूमिस्थित है। जिसमें वादी (प्रहलाद) के नाम आयी भूमिग्राम जाखडोन- खसरा नं0 1220/165 रकबा 0.72 हे0, खसरा नं0 1222/235 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 1214/753 रकबा 0.59 हे0, खसरा नं0 283 रकबा 0.42 हे0, खसरा नं0 1221/235 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 1223/253 रकबा 0.40 हे0, खसरा नं0


जिला मजिस्ट्रेट
जिला जौहरी (मिर्जापुर)

1216/753 रकबा 0.40 हे० व प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 के आयी भूमिग्राम जाखडोन-
खसरा नं० 1215/753 रकबा 0.16 हे०, खसरा नं० 1217/753 रकबा 0.41 हे०, खसरा
नं० 1218/165 रकबा 0.75 हे०, कुल 3 किता रकबा 1.32 हे० तथा प्रतिवादी नं० 5
कन्हैयालाल की आयी भूमिग्राम जाखडोन- खसरा नं० 1219/165 रकबा 0.78 हे०, खसरा
नं० 1213/753 रकबा 0.59 हे०, कुल 2 किता रकबा 1.37 हे०, प्रतिवादी नं० 6
जवाहरीलाल के आयी भूमि ग्राम जाखडोन- खसरा नं० 1216/753 रकबा 0.16 हे०,
प्रतिवादी नं० 7 लगायत 9 के नाम भूमि का वादी के पक्ष हकत्याग कर दिया है।
प्रतिवादी नं० 7 लगायत 9 का नाम डिलीट कर इनके स्थान पर वादी का नाम दर्ज
किया जावे। जिसमें दोनों पक्षकारान आपस में सहमत है तथा प्रतिवादीगण के किसी भी
वारिसान को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि
उभयपक्ष की सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की
जावे तथा यदि कोई राजस्व बनता हो तो नियमानुसार वसूल किया जावें। यदि रहन हो
तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
दीगोद
दीगोद, जिला अजमेर (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा राज0
पीठासीन अधिकारी- दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1- प्रहलाद आत्मज श्योपाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम जाखड़ोद तहसील दीगोद
जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

- 1- नन्दकिशोर आत्मज बंशीलाल जाति धाकड़
- 2- कमलेश आत्मज बंशीलाल जाति धाकड़
- 3- कालूलाल आत्मज बंशीलाल जाति धाकड़
- 4- कैला बाई उर्फ कैलाश पत्नी बंशीलाल जाति धाकड़
- 5- कन्हैयालाल आत्मज श्योपाल जाति धाकड़
- 6- जवाहरीलाल आत्मज श्योपाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम जाखड़ोन तहसील
दीगोद जिला कोटा राज0
- 7- महावीर आत्मज मदनलाल जाति धाकड़
- 8- राधेश्याम आत्मज मदनलाल जाति धाकड़
- 9- सन्तोष पुत्री मदनलाल जाति धाकड़ निवासीगण दरबीजी तहसील दीगोद जिला
कोटा
- 10- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0


(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से -श्री भारत शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से- श्री पंकज मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा
मिसल नं 147/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :- वादी का वाद पत्र राजीनामानुसार आंशिक स्वीकार किया जाकर वादी-प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम जाखड़ोन तहसील दीगोद की ख0नं0 1213/753 रकबा 0.58 हे0, ख0नं0 1218/165 रकबा 0.78 हे0, ख0नं0 1221/235 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 283 रकबा 0.42 हे0 व ख0नं0 1216/753 रकबा 0.58 ख0नं0 1220/165 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 1222/235 रकबा 0.


तहसीलदार कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

05 हे०, व खसरा नं० 1214/753 रकबा 0.59 हे०, ख०नं० 1219/165 रकबा 0.78 हे०, 0 ख०नं० 1215/753 रकबा 0.16 हे०, व ख०नं० 1217/753 रकबा 0.40 हे० ख०नं० 1223/235 रकबा 0.40 हे० भूमिस्थित है। जिसमें वादी (प्रहलाद) के नाम आयी भूमिग्राम जाखडोन- खसरा नं० 1220/165 रकबा 0.72 हे०, खसरा नं० 1222/235 रकबा 0.05 हे०, खसरा नं० 1214/753 रकबा 0.59 हे०, खसरा नं० 283 रकबा 0.42 हे०, खसरा नं० 1221/235 रकबा 0.06 हे०, खसरा नं० 1223/253 रकबा 0.40 हे०, खसरा नं० 1216/753 रकबा 0.40 हे० व प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 के आयी भूमिग्राम जाखडोन- खसरा नं० 1215/753 रकबा 0.16 हे०, खसरा नं० 1217/753 रकबा 0.41 हे०, खसरा नं० 1218/165 रकबा 0.75 हे०, कुल 3 किता रकबा 1.32 हे० तथा प्रतिवादी नं० 5 कन्हैयालाल की आयी भूमिग्राम जाखडोन- खसरा नं० 1219/165 रकबा 0.78 हे०, खसरा नं० 1213/753 रकबा 0.59 हे०, कुल 2 किता रकबा 1.37 हे०, प्रतिवादी नं० 6 जवाहरीलाल के आयी भूमि ग्राम जाखडोन- खसरा नं० 1216/753 रकबा 0.16 हे०, प्रतिवादी नं० 7 लगायत 9 के नाम भूमि का वादी के पक्ष हकत्याग कर दिया है। प्रतिवादी नं० 7 लगायत 9 का नाम डिलीट कर इनके स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे। जिसमें दोनों पक्षकारान आपस में सहमत है तथा प्रतिवादीगण के किसी भी वारिसान को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष की सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे तथा यदि कोई राजस्व बनता हो तो नियमानुसार वसूल किया जावें। यदि रहन हो तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.02.2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टांम्प अर्जी दावा			स्टांम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपयै	पैसे	मुदालयह	रुप्ये	पैसे
स्टांम्प वकालतनामा	0	0	स्टांम्प अर्जी	0	0
स्टांम्प वजूह सबूत	0	0	स्टांम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)